श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 29.06.2015 को संपन्न अंतर्एजेंसी समन्वय समिति की बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– पंजी के अनुसार।

1. नगर आयुक्त, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पिछले 48 घंटे में हुई लगभग 42 मि०मी० वर्षा के बावजूद पटना शहर के किसी भी क्षेत्र में जलजमाव नहीं हुआ है। उन्होंने प्रभावी कार्रवाई की है। किसी भी क्षेत्र में जलजमाव की समस्या संभावित नहीं है।

2. पटना शहर में 24 घंटे में 100 मि०मी०, 200 मि०मी० या 300 मि०मी० बरसात होने पर कितने–कितने समय तक प्रमुख क्षेत्रों में जलजमाव रहेगा, इसका आँकलन करके अगली बैठक में बताने का निर्देश दिया गया। सबसे जरूरी यह है कि कम से कम समय के लिए जलजमाव रहे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

3. नगर निगम क्षेत्र के अंचलों में सफाई कार्य हेतु निधि की कमी की शिकायत मिल रही है। इस पर नगर आयुक्त को परामर्श दिया गया कि निधि की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि कार्य बाधित नहीं हो। 13वें वित्त आयोग की निधि भी अभी हाल ही में पटना नगर निगम को हस्तांतरित की गयी है। इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

4. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मीठापुर से नंदलाल छपरा नाला की सफाई संतोषजनक नहीं है। बताया गया कि नाले पर कई जगह अवरोध है। निर्देश दिया गया कि नगर आयुक्त, जिला पदाधिकारी पटना से समन्वय करके, समुचित पुलिस बल लेकर, अवरोधों को हटाने की कार्रवाई करें ताकि जलप्रवाह बाधित नहीं हो।

5. अशोक नगर के जलजमाव को दूर करने के लिए नाले को NBCC से जोड़ने की चर्चा पिछली बैठकों से हो रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नगर आयुक्त ध्यान देकर आगामी बैठक से पूर्व इसे सुनिश्चित करेंगे।

6. यह बताया गया कि अशोक नगर, जीरो प्वाइंट सम्प हाऊस की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इसकी अग्रेत्तर कार्रवाई बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा किया जाय।

7. बाँकीपुर अंचल में नाला रोड के पुराने नाले की मशीन से सफाई करने का निर्देश पिछले तीन बैठकों से दिया जा रहा है, लेकिन मात्र Manual सफाई की जा रही है। यह चिंताजनक है। एक सप्ताह के अंदर इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. सैदपुर नाला के सुदृढ़ीकरण के लिए डी०पी०आर० बनाने का निर्देश दो माह पूर्व ही बुडको को दिया गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जी०एम० (तकनीकी), बुडको द्वारा बताया गया कि इस पर कार्रवाई हो रही है। निर्देश दिया गया कि इस पर अत्यधिक ध्यान दिया जाय, क्योंकि यह नाला शहर का Output drainage है, जिसका सांगोपांग अनुश्रवण आवश्यक है।

9. सफाई कार्य के अनुश्रवण में जनप्रतिनिधियों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु बार–बार निर्देश दिया जाता रहा है। कुछ अंचलों में अच्छा काम हुआ है, लेकिन कुछ अंचलों में अभी काम होना बाकी है। निर्देश दिया गया कि आगामी बैठक के पूर्व नाला उड़ाही एवं सफाई की समीक्षा कर ली जाय तथा यदि कोई महत्वपूर्ण सुझाव हों तो उन पर अमल किया जाय। साथ ही साथ इसकी कार्यवाही संधारित कर नगर निगम के स्तर पर रखी जाय।

10. गंगा नदी में गिर रहे नाले के गंदे पानी के सफाई की व्यवस्था करने का निर्देश बुडको को बार–बार दिये जा रहे हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है। GM (Work), बुडको इस पर अत्यधिक ध्यान दें।

11. शनिचरा पुल के निर्माण हेतु बिहार राज्य पुल निगम द्वारा डी०पी०आर० बनाये जा रहे हैं। मुख्य अभियंता, पटना नगर निगम, उनके प्रावधानों को देख लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार का अवरोध का कारण नहीं बने।

12. नगर निगम द्वारा बड़ी मात्रा में यंत्रों के खरीद का निर्देश दिया गया है, जिसकी खरीददारी निकट भविष्य में होगी। अग्रिम तौर पर यंत्रों के रखरखाव हेतु व्यवस्था कर ली जाय ताकि यंत्र अनुपयोगी नहीं रहे। उल्लेखनीय है कि आपूर्ति होने वाली

यंत्रों के कारण, वर्तमान में उपलब्ध यंत्रों से लगभग तीन गुना अतिरिक्त यंत्र उपलबध हो जाएगी। फलस्वरूप यह आशा की जा सकती है कि पटना शहर में सफाई व्यवस्था में आमूलचूल सुधार हो सकेगा।

13. सभी अंचलों से सफाई कार्य योजना, अगली बैठक में उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

14. पटना नगर निगम क्षेत्र में भवनों के नक्शे पास नहीं हो रहे हैं। इसका लिखित कारण विभाग द्वारा माँगे गये हैं। अभी तक नगर आयुक्त द्वारा जबाव नहीं भेजा गया है। वे तुरंत जबाव भेजें।

15. पटना नगर निगम क्षेत्र में विकास कार्यों का कार्यान्वयन बहुत ही धीमा है। नगर आयुक्त जिम्मेदार पदाधिकारियों को विभिन्न कार्यक्रमों का जिम्मा दें, जो इसका ससमय अनुश्रवण करके, कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे।

16. उल्लेखनीय है कि नगर निगम के पी०एल० खाते में लगभग 130.00 करोड़ रूपये अव्यवहृत जमा हैं। इसका ससमय उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3453 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 07/7/15
प्रतिलिपि :– सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3453 न०वि० एवं आ०वि०/पटना, दिनांक 07/7/15
प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव